(a) what are the details of the imports of silk (products) fabrics made under the Advance Licensing Duty Free Scheme during 1993-94 and 1994-95 separately for each port viz. Bombay, Calcutta, Madras and Kandla, period-wise;

(b) the total yardage allowed and CIF value thereof;

(c) the total FOB amount of export obligations imposed;

(d) whether the fulfilment of export obligations are ensured; and

(e) if so, the details of steps taken thereon?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) and (e) Every advance licence issued under the Duty Exemption Scheme carries an export obligation to be fulfilled within a stipulated period. Export obligation is monitored by concerned Regional Licensing Authority of DGFT. To ensure the fulfilment of export obligation, exporters are required to execute Legal Undertaking/Bank Guarantee, as the case may be,.before clearance of first consignment of imports. On the expiry of stipulated export obligation period with such extensions as may have been allowed by the competent authority, exporters are required to submit prescribed documents in evidence of fulfilment of export obligation.

विदेशी विद्युत परियोजनाओं की निगरानी

123. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी निवेश पर आधारित सभी विद्युत परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए कोई कदम उठाए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र का समन्वय करने के लिए कोई ठोस उपाय किए हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई) : (क) और (ख) जी, हां। देश में निजी क्षेत्रों वाली विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए विद्युत मंत्रालय. संबधित राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डो तथा निजी प्रवर्तकों के साथ आवधिक रूप से विचार-विमर्श करके विदेशी कंपनियों समेत सभी कंपनियों द्वारा प्रकट की गई रूचियों का नियिमत रूप से मानीटरिंग कर रहा है। अब तक देश में 295956.85 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली कुल 77652.25 मे.वा. क्षमता हेतु निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए 202 कंपनियों द्वारा रूचि प्रकट की गई है।

(ग)और (घ) देश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों में, नई विद्युत उत्पाद क्षमता को शीघ्र चालू किया जाना, अल्प निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना, पारेषण एंव वितरण हानियों में कमी करना, बेहतर मांग, प्रबंध एंव ऊर्जा सरंक्षण उपायों का क्रियान्वयन करना, अधिशेष विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत अन्तरण की व्यवस्था करना, विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देना आदि शामिल है।

(ड.) उपरोक्त (ग) तथा (घ) उल्लिखित उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दूरदर्शन की क्षमता को बढ़ाने की धीमी प्रगति

124. **श्री कनकसिंह मोहनिंसह मंगरोला:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन अन्य चैनलों के धारावाहिकों, अंतराष्ट्रीय दूरदर्शन के धारावाहिकों तथा उनकी प्रसारण संबंधी क्षमता के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है,

(ख) यदि हां, तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए दूरदर्शन की क्षमता को बढ़ाने के मामले में धीमी प्रगति के क्या-क्या कारण है, और